



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/027

दिनांक: 13.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान के मद्देनजर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से उत्पन्न निर्यात माल के निपटान की प्रक्रिया - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143ए।**

संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 19/2026-सीमा शुल्क दिनांक 10 <sup>अप्रैल</sup> 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143ए के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान के मद्देनजर, एसईजेड से उत्पन्न होने वाले निर्यात कार्गो को संभालने की प्रक्रिया के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है।

इस संदर्भ में, एसईजेड में मूल रूप से मंजूरी प्राप्त लेकिन वर्तमान में गेटवे पोर्ट पर पड़े निर्यात कार्गो के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया स्पष्ट की गई है:

### निर्यातकों के लिए प्रमुख कदम

#### 1. LEO/शिपिंग बिल का रद्द होना

- निर्यातक मूल एसईजेड में रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।
- प्रवेश द्वार बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी तब माल की आवाजाही (वापसी या मार्ग परिवर्तन) की अनुमति दे सकते हैं।
- कंटेनरों को एसईजेड में वापस लाने की आवश्यकता नहीं है।
- संरक्षक को उचित लेखांकन सुनिश्चित करना होगा।

#### 2. त्वरित प्रसंस्करण

- एसईजेड और गेटवे पोर्ट के समन्वय से अनुरोधों को शीघ्रता से निपटाया जाएगा।
- संचार के लिए आधिकारिक ईमेल का उपयोग करें ; ईमेल की प्रतिलिपि में निर्यातक का नाम अवश्य लिखें।
- जहां तक संभव हो, भौतिक दस्तावेज़ीकरण से बचें।

#### 3. कार्गो को प्रवेश द्वार बंदरगाहों पर वापस भेजा गया

एस.ई.जे. से उत्पन्न होने वाले निर्यात कार्गो, जो जहाजों में लोड किए गए हों लेकिन गेटवे पोर्ट पर वापस लौटा दिए गए हों, उन्हें परिपत्र संख्या 09/2026 दिनांक 08.03.2026 और परिपत्र संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2026 के पैरा 2(ए) के अनुसार, जैसा लागू हो, संभाला जाएगा।

#### 4. भराई निकालना और भंडारण

- प्रवेश द्वार बंदरगाह पर स्थित सीमा शुल्क बंधित गोदाम में भंडारण की अनुमति दी जा सकती है।
- नए शिपिंग बिल दाखिल करने और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने पर मार्ग परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त सुविधा, दिनांक 27.03.2026 के परिपत्र संख्या 15/2026 सीमा शुल्क  
([https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260413124221.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260413124221.pdf)) के पैरा 10 में दर्शाई गई छूट  
समयसीमा के साथ , 30.04.2026 तक लागू रहेगी ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत परिपत्र को यहां देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/202604130106\\_10.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202604130106_10.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल